119

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

A-1894-I/16

अपील प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

जम्मनसिंह उर्फ जमुनासिंह ठाकुर
पिता श्री विशेश्वर सिंह ठाकुर (गौड)
निवासी टुन्कू मोहनिया तहसील पनागर
जिला जबलपुर ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री ... चतुर्वेदी, ... द्वारा आज दि. 14-6-16 को प्रस्तुत

1- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

2- श्री अभय कुमार जैन पिता स्व. श्री टीकमचंद जैन
निवासी प्लॉट नं. 59, कचनार सिटी, ग्राम लमती
तहसील व जिला जबलपुर ---- प्रति अपीलार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 355/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम खैरी नं. बं. 565 प.ह.नं. 20 नया 71 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में स्थित खसरा नं. 98/1 रकबा 0.540 हैक्टर स्थित है । इस भमि के अतिरिक्त आवेदक के पास अन्य ग्राम टुन्कू मोहनिया एवं ग्राम जुगतरा में 2. 27 हैक्टर भूमि और है । अपीलार्थी गाम खैरी की भूमि खसरा नं. 98/1 रकबा 0.540 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक 2 गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री अभय

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 1894–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 355/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–5–16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 30–5–16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम खैरी नं. बं. 565 प.ह.नं. 20 नया 71 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98/1 रकबा 0.540 हैक्टर अनावेदक क्रमांक 2 गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री अभय कुमार जैन पिता स्व. श्री टीकमचंद जैन को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर	

<u>जम्मनसिंह उर्फ जमुना सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, पनागर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है । अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि असिंचित है और प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के उपरांत अपीलार्थी के पास 2.27 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-5-16 निरस्त किया जाता है एवं यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम खैरी नं. बं. 565 प.ह.नं. 20 नया 71 रा.नि.मं. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 98/1 रकबा 0.540 हैक्टर अनावेदक क्रमांक 2 गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री अभय कुमार जैन पिता स्व. श्री टीकमचंदजैन को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

.XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – जबलपुर

प्रकरण क्रमांक – अपील 1894–एक/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	